क्रमांक 753-ज-2-93/9712.—श्री नन्द सिंह, पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव खारबन, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला अब यमुनानगर, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1517-ज-1-82/34448, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री नन्द सिंह की दिनांक 8 सितम्बर, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री नन्द सिंह की विधवा श्रीमती वीर कौर के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 26 मई, 1993

क्रमांक 942-ज-2-93/9882.—श्री इन्द्राज, पुत्र श्री निहाला, निवासी गांव जाहिदपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2182-आर-(2)-68/4554, दिनांक 2 दिसम्बर, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री इन्द्राज की दिनांक 26 जनवरी, 1992 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री इन्द्राज की विधवा श्रीमती सुख देई के नाम खरीफ 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1019-ज-II-93/9904.—श्री फते सिंह, पुत्र श्री माईया, निवासी गांव ढोबी राजगढ़, तहसील नरवाना, जिला जीन्द, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6269-र-III-70/1257, दिनांक 14 जनवरी, 1971 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री फते सिंह की दिनांक 9 फरवरी, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री फते सिंह की विधवा श्रीमती सुरजली के नाम खरीफ, 1991 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

आर० एल० चावला,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग।

HOME DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 28th May, 1993

No. 9466/D4.—In the Haryana Government Home Department Notification No. 6530/D-4, dated 31st March, 1993, published in *Haryana Government Gazette*, dated the 13th April, 1993, in its authorised English translation for "specification" read "parcel 2 Kanal 19 Marla against Khasra No. 24 Min."

A. N. MATHUR,

Secretary to Government, Haryana,
Home Department.